कार्यालय कलेक्टर छिन्दवाड़ा मध्य प्रदेश एवं पदेन उप सचिव
मध्य प्रदेश शासन राजस्व विभाग
(अधिसूचना)

क्रमांक/389/भू-अर्जन/2021 छिन्दवाड़ा, दिनॉक/12/01/2021

चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि के अनुसूची खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतएव भूमि अर्जन,पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद् द्वारा सभी संबंधित हितबद्व व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है।

2 मध्यप्रदेश शासन जल संसाधन विभाग मंत्रालय भोपाल के आदेश क्रमांक-F-22/03/2017-18/ल.सि./31/1358 भोपाल, दिनांक 19/06/2018 की छायाप्रति संलग्न है।

3. अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा "भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-6 (2) के अन्तर्गत "लघु सिंचाई योजना" बाबत जहाँ तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन पर्यावरणीय समाघात निर्धारण की प्रकिया की अपेक्षा की जाती है,इस अधिनियम के सामाजिक समाघात निर्धारण के उपबन्ध लागू नहीं होगें।" अतः अधिनियम की धारा-6 के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा-11 (3) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है।

4. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है, कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन,पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होगें।

अनुसूची

1. भूमि का वर्णनः-

जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूमि अर्जन,पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5	6
छिन्दवाड़ा	पांढुर्णा	ग्राम-कुकडीखापा, प0ह0न-64 ब.न.-47 रा.नि.मं. -पांढुर्णा	रकबा-0.433 हेक्टेयर एवं उपरोक्त भूमि पर आने वाली परिसंपत्तियां।	भू-अर्जन अधिकारी तहसील-पांढुर्णा जिला छिन्दवाडा	डोलनाला जलाशय के बांध निर्माण हेतु लघु सिंचाई योजना के अंतर्गत निजी भूमि अधिग्रहण किये जाने के संबंध में

2. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्व कोई व्यक्ति अधि–सूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.chhindwara.nic.in एवं म0प्र0 शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट http://www.mprevenue.nic.in/ पर भी देखा जा सकता है।

3 अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान)का निरीक्षण कार्यालय कलेक्टर भू–अर्जन शाखा) छिंदवाड़ा जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है।

4. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू–अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) तहसील–पांढुर्णा, जिला छिन्दवाडा (म0प्र0) के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर देखा जा सकता है।

5. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग जिला छिंदवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है।

5. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, जल संसाधन उपसंभाग पांढुर्णा, जिला छिंदवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है।

7. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्व कोई व्यक्ति अधि–सूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भू–अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर छिन्दवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(सौरभ कुमार सुमन)
कलेक्टर एवं पदेन उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग

पृष्ठा. क./ 389 /प्रस्तु./भू–अर्जन/2021 छिन्दवाड़ा, दिनॉक 18/01/2021

प्रतिलिपि:–

1. सचिव, म0प्र0 शासन राजस्व विभाग वल्लभ भवन भोपाल की ओर राज्य शासन की वेबसाईट http://www.mprevenue.nic.in/ पर अपलोड किये जाने का अनुरोध है ।
2. उप–नियंत्रक शासकीय केंद्रीय मुद्रणालय लेखन सामग्री म.प्र. भोपाल को म.प्र. राजपत्र भाग एक में प्रकाशनार्थ अग्रेषित।
3. संचालक, जनसंपर्क संचालनालय विज्ञापन शाखा पलाश होटल के पास भोपाल को सूचनार्थ अग्रेषित। कृपया 10 दिवस के अंदर इस सूचना का प्रकाशन दो दैनिक समाचार पत्रों में कर इस कार्यालय को अवगत करावे तथा समाचार पत्रों की प्रतियां भी भेजने का कष्ट करें।
4. भू–अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) तहसील–पांढुर्णा की ओर नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
5. तहसीलदार–पांढुर्णा, जिला–छिंदवाड़ा की ओर अधिसूचना की दो प्रतियॉ आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित। अधिसूचना की एक प्रति कार्यालय के सूचनाफलक पर एवं एक प्रति संबंधित ग्राम–कुकडीखापा के सार्वजनिक स्थान में प्रकाशन कराया जाकर पालन प्रतिवेदन अनिवार्य रूप से कलेक्टर भू–अर्जन शाखा छिंदवाडा को भिजवाना सुनिश्चित करें।

6. कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग जिला छिंदवाड़ा की ओर सूचनार्थ अग्रेषित। उपरोक्त जारी अधिसूचना दो दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशन की प्रतियां तथा म0प्र0 के राजपत्र भाग–1 में प्रकाशित अधिसूचना की प्रतियां अनिवार्य रूप से प्रकरण में संलग्न किया जाना सुनिश्चित करे। इस हेतु उपरोक्त प्रकाशित अधिसूचनाओं की समाचार एवं राजपत्र की प्रतियां कलेक्टर न्यायालय की भू–अर्जन शाखा में उपस्थित होकर उपरोक्त कार्यवाही कराने का उत्तरदायित्व आवेदक विभाग आपका ही होगा ।

7. प्रभारी अधिकारी नाजारात शाखा कलेक्टर कार्यालय छिन्दवाडा की ओर सूचनार्थ अग्रेषित। उक्त अधिसूचना का प्रकाशन कार्यालय के सूचना पटल मे किया जाकर प्रकाशन संबंधी प्रतिवेदन कार्यालय भू–अर्जन शाखा को अनिवार्य रूप से दिया जाना सुनिश्चित करें ।

8. जिला सूचना एवं विज्ञान अधिकारी (एन0आई0सी0) छिन्दवाडा की ओर सूचनार्थ अग्रेषित। अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्व कोई व्यक्ति अधि–सूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट http://www.mprevenue.nic.in/ एवं म0प्र0 शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट **http:/ / www.mprevenue.nic.in/** पर अनिवार्य रूप से अपलोड किया जाना सुनिश्चित करे ।

9. थाना प्रभारी–पांढुर्णा, तहसील–पांढुर्णा की ओर सूचनार्थ अग्रेषित कि आप उक्त अधिसूचना का प्रकाशन जनसामान्य की जानकारी के लिये अपने थाना कार्यालय के सूचना पटल मे किया जाना सुनिश्चित करें तथा प्रकाशन संबंधी प्रतिवेदन इस कार्यालय को एक सप्ताह के भीतर भिजवाना सुनिश्चित करें।

10. सरपंच ग्राम पंचायत–कुकडीखापा विकासखण्ड–पांढुर्णा, जिला–छिन्दवाडा की ओर सूचनार्थ अग्रेषित। अधिसूचना की एक प्रति संबंधित ग्राम–कुकडीखापा के सार्वजनिक स्थान में प्रकाशन कराये जाने और एक प्रति पंचायत भवन कार्यालय के सूचना पटल पर प्रकाशन कराया जाकर पालन प्रतिवेदन कार्यालय कलेक्टर भू–अर्जन शाखा छिंदवाड़ा को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें। उक्त निर्देशों के उल्लघंन पाये जाने पर नियमानुसार दण्डात्मक कार्यवाही सुनिश्चित की जावेगी।

11. जिला जन संपर्क अधिकारी, छिन्दवाड़ा की ओर अधिसूचना की प्रति के साथ सूचनार्थ अग्रेषित। कृपया अधिसूचना को दो स्थानीय समाचार पत्रों में निःशुल्क प्रकाशन कराया जाकर प्रकाशित विज्ञापन की कटिंग प्रति कलेक्टर (भू–अर्जन शाखा) को उपलब्ध सुनिश्चित करें।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(सौरभ कुमार सुमन)
कलेक्टर एवं पदेन उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग